



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052021-227168
CG-DL-E-25052021-227168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1887]
No. 1887]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 25, 2021/ज्येष्ठ 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 25, 2021/JYAISHTHA 4, 1943

रेल मंत्रालय

उत्तर पश्चिम रेल्वे (निर्माण)

अधिसूचना

जयपुर, 26 मार्च, 2021

का.आ. 2027(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा-2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना “फुलेरा-डेगाना दौहरीकरण रेल लाइन परियोजना” के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रायोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
(i)	उप खंड अधिकारी, सांभर	जयपुर

[फा. सं. 108-W/Dy. CE/C-II/मकराना]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 26th March, 2021

S.O. 2027(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section-2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “**Phulera-Degana Doubling Rail Line Project**” in the state of **Rajasthan** relating to District mentioned in column (3) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	District
(1)	(2)	(3)
(i)	Sub Division Officer, Sambhar	Jaipur

[F. No. 108-W/Dy. CE/C-II/Makrana]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)